



सिद्धार्थनगर पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 24.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा अपहरण के 01 आरोपी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायाल भेजा गया।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व सुबेन्दु सिंह क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण में बृजेश सिंह थानाध्यक्ष मिश्रौलिया मय टीम द्वारा आज दिनांक 24.09.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 141/2025 धारा 87,137(2) बीएनएस व 11/12 पॉक्सो एक्ट से संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त को ग्राम निहलवा मस्जिद के पास से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.मुमताज अली पुत्र मुस्तकीम निवासी सुकरौली थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01.थानाध्यक्ष बृजेश सिंह थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

02.उ०नि० प्रदीप कुमार चौहान थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

03.का० दुर्गविजय यादव, गौरव चतुर्वेदी, पवन कुमार थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

◆मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत क्षेत्राधिकारी बांसी व थानाध्यक्ष खेसरहा मय टीम द्वारा थानाक्षेत्र के “शेष मणि चतुर्वेदी इण्टर कॉलेज बसडिला” मे छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, साइबर अपराध के संबंध में जागरूक किया गया ।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु मिशन शक्ति फेज-05 अभियान" के तहत प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24.09.2025 को क्षेत्राधिकारी बांसी व थानाध्यक्ष खेसरहा मय टीम द्वारा थानाक्षेत्र खेसरहा मे “शेष मणि चतुर्वेदी इण्टर कॉलेज बसडिला” के छात्राओं को जागरूक करते हुए मिशन शक्ति अभियान से संबंधित पंपलेट वितरित कर शासन द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे विमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, और स्वास्थ्य/एम्बुलेंस सेवा 102/108 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई । छात्राओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार की असुरक्षा या समस्या के समय वे बिना किसी झिझक के इन नंबरों पर संपर्क कर सकती हैं । यह भी आश्वासन दिया गया कि उनकी शिकायतों को गोपनीय रखा जाएगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी । कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं और छात्राओं को आत्मरक्षा के महत्वपूर्ण बातें बताई गयी, ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें । बालिकाओं को आत्मविश्वास के साथ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और निर्भीक होकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया । कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, अन्य स्टाफ और पुलिस कर्मी उपस्थित रहे । इस अवसर पर उपस्थित बालिकाओं ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र में उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

प्रेस नोट दिनांक 24.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆प्रभारी निरीक्षक थाना महिला थाना द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के तहत सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल जनपद सिद्धार्थनगर की छात्राओं को थाना परिसर का भ्रमण कराया गया तथा थाने के कार्यप्रणाली व छात्राओं को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया।

शासन द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के तहत डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता/ पिंक कोबरा मिशन शक्ति अभियान फेज-5 " के संबंध में दिए गए आदेश के क्रम में व प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में व विश्वजित सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर (IPS) के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24-09-2025 को भाग्यवती पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना महिला थाना द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के तहत सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल जनपद सिद्धार्थनगर की छात्राओं को थाना महिला थाना का भ्रमण कराते हुए प्रभारी निरीक्षक कक्ष, कार्यालय कक्ष, CCTNS कक्ष, मेस, हवालात पुरुष व महिला व महिला हेल्प डेस्क कक्ष को दिखाया गया तथा थाना की कार्यप्रणाली, आनलाइन FIR, NCR, विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के बारे में जानकारी दी गयी व IGRS के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के बारे में जानकारी दी गयी तथा विभिन्न स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया। इसके साथ-साथ छात्राओं को निर्भीक होकर शिक्षित एवं सक्षम बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 24.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना मिश्रौलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के 02 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं० 227/1996 मु०अ०सं० 05/1996 धारा- 323,504,506 भादवि० थाना मिश्रौलिया में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे०एम० बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त 01-प्यारे तेली पुत्र भुण्डे तेली, 02-लोचन तेली पुत्र भुण्डे तेली निवासीगण बनरही थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी धिरज यादव थाना मिश्रौलिया का सराहनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट दिनांक 24.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना मिश्रौलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं० 260/2008 NCR no-15/2007 धारा-323,504,506 भादवि० थाना मिश्रौलिया में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे०एम० बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्ता सुन्दरी पत्नी खदेरु निवासी रेहरा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी धिरज यादव थाना मिश्रौलिया का सराहनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट दिनांक 24.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के 04 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं० 1783/2013 NCR No-78/2012 धारा- 323,504,506 भादवि० थाना खेसरहा में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे०एम० बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01-सीताराम उर्फ तुफानी पुत्र रामसवारे, 2-जगराम उर्फ मितई पुत्र रामसंवारे, 3-अनारी देवी पत्नी सीताराम उर्फ तुफानी, 4-संगीता देवी पत्नी जगराम उर्फ मितई, निवासीगण पचपेड़वा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर प्रसाद थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 24.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना बांसी पुलिस की प्रभावी पैरवी से एक्सिडेंट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 1,350/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 15-09-2025 को वाद सं० 3855/2023 मु०अ०सं० 342/2022 धारा- 279,304A,427 भादवि० थाना बांसी में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे०एम० बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त मो० तौफीक खान पुत्र मो० कमाल खान निवासी रतन पुरवा बर्डपुर-12 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने

तक की सजा व ₹ 1,350/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी मुकेश प्रजापति थाना बांसी का सराहनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट दिनांक 24.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना बांसी पुलिस की प्रभावी पैरवी से सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 50/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं० 1554/2017 मु०अ०सं० 1883/2017 धारा-294 भादवि० थाना बांसी में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे०एम० बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त प्रीतम कुमार भट्ट पुत्र अनिल कुमार निवासी तिलौली थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 50/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी मुकेश प्रजापति थाना बांसी का सराहनीय योगदान रहा ।

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष अवधि का कठोर कारावास व ₹ 55,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 24.09.2025 को वाद सं० 647/2024 मु०अ०सं०-111/2024 धारा- 376(2)ढ़,452,504,506 भा०द०वि० व 5/6 पाक्सो एक्ट में थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र कुमार अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में सम्बन्धित अभियुक्त अहम्मदुल्लाह पुत्र रहमतुल्लाह निवासी कुमौना थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को 20 वर्ष अवधि का कठोर कारावास व ₹ 55,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर प्रसाद थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा ।

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी से आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 01 दिन अवधि का साधारण कारावास व ₹ 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 24-09-2025 को वाद संख्या 1047/1995 मु०अ०सं० 130/1994 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री शिवेन्द्र शर्मा न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जेएम कक्ष सं० 2 जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त लम्दी पुत्र स्व० जुम्मन निवासी लोरपुर ताजन थाना अकबपुर जनपद अम्बेडकर नगर को 01 दिन अवधि का साधारण कारावास व ₹ 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अभियोजन अधिकारी अजय गौतम तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अनूप कुमार थाना इटवा का सराहनीय योगदान रहा ।